बिहार सरकार

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०–स्था०1/वि०3–30/2015 / 166 पटना, दिनांकः 25-06-19

कार्यालय आदेश

श्री सुजीत कुमार सोनू, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, राजपुर, रोहतास संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, पकरीबरावाँ प्रखंड, नवादा के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, रोहतास के पत्रांक–34(मु०)/आ०, दिनांक 22.04.2015 द्वारा समर्पित आरोप प्रपत्र के आलोक में निदेशालय के का०आ०सं०–120 सहपठित ज्ञापांक–737 दिनांक–16.6.2015 द्वारा श्री सुजीत कुमार सोनू पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमवाली, 2005 के नियम–17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। इस विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच), रोहतास को संचालन पदाधिकारी तथा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, रोहतास को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2. अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच)–सह–संचालन पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम के पत्रांक–16 (मु०)/वि०जाँ०, दिनांक–22.09.2017 द्वारा श्री सुजीत कुमार सोनू के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी ने श्री सोनू द्वारा अपने बचाव में दाखिल किये गये स्पष्टीकरण एवं उपस्थापन पदाधिकारी से प्राप्त मंतव्य एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकनोपरांत निष्कर्ष दिया है कि " जिला पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम का आदेश ज्ञापांक–1860/आ०, दिनांक–11.12.2012 के द्वारा आरोपी को खरीफ विपणन मौसम 2012–13 में राज्य खाद्य निगम, संझौली में क्रय केन्द्र प्रभारी के रूप में प्रतिनियुक्त की गई थी। उक्त क्रय केन्द्र पर कुल 5583.80 एम०टी०धान की अधिप्राप्ति की गयी थी । जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, रोहतास के प्रतिवेदन दिनांक–17.12.2014 से स्पष्ट होता है कि उक्त क्रय केन्द्र पर अधिप्राप्त धान मिलर्स को निर्गत करने के पश्चात 6.96 एम०टी० अवशेष है।

विभाग से प्राप्त निदेश के आलोक में अवशेष धान की निलामी की जानी थी, जिसका सत्यापन प्रखंड के वरीय पदाधिकारी से कराया गया। वरीय पदाधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन में उक्त क्रय केन्द्र के गोदाम में अवशेष मात्रा के अनुरूप धान उपलब्ध नहीं पाया गया। क्रय केन्द्र प्रभारी होने के नाते अधिप्राप्त अवशेष धान की सुरक्षा के लिए इनकी व्यक्तिगत जिम्मेवारी थी। इसके संबंध में निदेश आदेश ज्ञापांक–1860 दिनांक–11.12.2012 द्वारा संसूचित किया गया था । आरोपी ने उक्त आदेश का निष्ठापूर्वक निर्वहन नहीं किया न तो इसके संबध में कोई सूचना उच्चाधिकारियों को दिया।

7. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री सुजीत कुमार सोनू, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, राजपुर, रोहतास संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, पकरीबरावाँ प्रखंड, नवादा पर बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 में किये गये प्रावधानों के तहत संचयी प्रभाव के साथ तीन वेतन वृद्धि रोकने का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है। यह दंड पूर्व में दिये गये किसी दंड के अतिरिक्त होगा।

8. यह दंड निदेशालय के का०आ०सं०–316 सहपठित ज्ञापांक–1914 दिनांक 19.09.2018 द्वारा पूर्व में संचयी प्रभाव के साथ तीन वेतन वृद्धि रोकने का दिये गये दंड के समाप्ति के बाद प्रभावी होगा।

ह०/–

(राजेश्वर प्रसाद सिंह)

निदेशक

ज्ञापांक :– स्था०1/वि०3–30/2015 / 1194 पटना, दिनांक : 25-06-19

प्रतिलिपि :–सचिव के आप्त सचिव,योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।

2. जिला पदाधिकारी, रोहतास को उनके पत्रांक 34(मु०)/आ० दिनांक–22.04.2015 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. जिला पदाधिकारी, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. जिला कोषागार पदाधिकारी, रोहतास/नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, रोहतास/नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
6. प्रखंड विकास पदाधिकारी, पकरीबरावॉ, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
7. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, पटना को निदेशालय के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
8. श्री सुजीत कुमार सोनू, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, राजपुर, रोहतास संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, पकरीबरावाँ प्रखंड, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक

052 स्था०1 (का०आ०) (18 जून 2019) सुजीत कुमार सोनू (का०आ० दान).

" नन्ही सी जान की पहली पहचान, उपहार में दे जन्म का प्रमाण "